

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

सर्वजीत कौर बनाम केवल सिंह आदि

दिनांक 14 / 2025 अन्तर्गत धारा 212 RTA

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
-----------------------------------	---

7/25 अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची संख्या 3, 6 ता 12 उपस्थित नहीं रुक-रूक 3 बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब प्राप्ति पत्र दिनांक 12/8/25 को पेश हो। ✓

12/25 अधिवक्तागण उपस्थित। अप्राची सं. 1, 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भन्दा गुप्ता उपस्थित आए। पत्रावली वास्ते जवाब प्राप्ति पत्र दिनांक 28/08/25 को पेश हो। ✓

28/25 वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 21/9/25 को पेश हो। Kimms पुनश्च: इतना लिखने पर अप्राची सं. 1, 2, 4, 6, 7 की ओर से जवाब प्राप्ति पत्र पेश किया Kimms

29/25 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु सज्ज था। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/10/25 को पेश हो। ✓

14/25 अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राप्ति पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटप्रेस किया। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राप्ति पत्र नोटप्रेस करने पर सुकरण इसी स्तर पर खरिब फूटा जाता है। पत्रावली निर्गत कर गन्वर से कम होकर वापस इकट्ठा हो

Not Press




सहायक कलक्टर एवं यूनियन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)